



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112023-250250
CG-DL-E-24112023-250250

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4835]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2023/अग्रहायण 3, 1945

No. 4835]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2023/AGRAHAYANA 3, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2023

का.आ. 5044(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था (PAN: AADAC3163E), छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा गठित एक निकाय, उस निकाय को उद्भूत होने वाली विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थातः

- (क) केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान ;
 - (ख) आवेदन, प्रमाणीकरण शुल्क और अन्य सेवा प्रभागों के माध्यम से प्राप्त राशि; और
 - (ग) बैंकों में सावधि/नियत जमाओं पर और उपरोक्त (क) और (ख) पर अर्जित व्याज।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्वधीन प्रभावी होगी कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था।
- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी;
 - (ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए प्रासंगिक है।

[अधिसूचना सं. 100 /2023 /फा. सं. 300196/31/2019-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू करने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2023

S.O. 5044(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, Chhattisgarh Rajya Beej Pramanikaran Sanstha (PAN AADAC3163E), a body constituted by the State Government of Chhattisgarh, in respect of the following specified income arising to that body, as follows:

- (a) Grants received from Central and State Governments.
 - (b) Money received by the way of application, Certification fees and other service charges.
 - (c) Interest earned on Term/Fixed Deposits in the banks and on (a) to (b) above.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that Chhattisgarh Rajya Beej Pramanikaran Sanstha—
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024 relevant for the financial years 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023, respectively.

[Notification No.100/2023/F. No. 300196/31/2019-ITA-I].

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.